

भारतीय भाषाओं के सशक्तीकरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

डॉ. निशान्त कुमार पाण्डेय

सहायक आचार्य

हे.न.ब. स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालगंज प्रतापगढ़, संबद्ध प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैरव) विश्वविद्यालय, प्रयागराज



Received 10 September 2026

Accepted 05 October 2026

Published 23 October 2026

Corresponding Author:

डॉ. निशान्त कुमार पाण्डेय

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i6.14>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश:

विविधताओं को आत्मसात करते हुए एक सूत्र में मजबूती से बंधे होना हमारी प्रमुख विशेषता है। विविधता का एक आयाम भाषा भी है। हमने हमेशा अपनी स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया है। क्षेत्रीय भाषाओं के बिना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कल्पना नहीं की जा सकती है। बच्चों के लिए संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम उनकी मातृभाषा होती है। शोधों में यह देखा गया है कि बाल्यावस्था में बालकों का अधिकांश मानसिक विकास हो जाता है, अतः इस अवस्था में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रथम एवं द्वितीय शिक्षा नीतियों में मातृभाषा को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने एवं क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने के लिए संकल्पित है। शिक्षा नीति में स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न अनुशासनों की गई हैं। जिसके अंतर्गत इन भाषाओं में शब्दकोश निर्माण, डिजिटल सामग्री (ई-कंटेंट) उपलब्ध कराना, पुस्तक निर्माण, शिक्षकों का पैनल तैयार करना, तकनीकी शब्दावली का विकास, उच्च शिक्षा में प्रयोग, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विकल्प भाषा के रूप में प्रस्तुत करना आदि शामिल हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रति हम भारतवासियों का अवांछित आकर्षण स्थानीय भाषाओं की उन्नति में बाधक है। यद्यपि कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भाषा संबंधी अनुशासनों का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, किंतु अब तक का प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा जैसा प्रतीत होता है। हमें अपनी भाषाओं को सशक्त करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है।

कीवर्ड – मातृभाषा, पब्लिक, ई-कंटेंट, शब्दकोश, बहुभाषिकता

भारत अत्यंत विविधता वाला देश है। यहां पर विविध धर्म, भाषा, संस्कृति, संप्रदाय और मान्यताओं के प्रति आस्था रखने वाले लोग निवास करते हैं। भाषागत विविधता हमारे राष्ट्र की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हमारा भारतीय समाज इस मुद्दे पर अत्यंत संवेदनशील है। हमें अपनी भाषाओं, मान्यताओं, और परंपराओं पर आदि

काल से गर्व रहा है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा इन्हीं भाषाओं में पुष्पित पल्लवित होकर आज हमें समृद्ध विरासत का दर्शन करा रही है। संस्कृत, तमिल, तेलुगू जैसी भाषाएँ हजारों वर्षों से बोली, समझी, पढ़ी और लिखी जा रही हैं। भारत जैसा विशाल देश किसी एक भाषा से बंधा हुआ नहीं है, आज भी हममें से अधिकांश स्थानीय भाषाओं को ही अपने बोलचाल, दैनिक कार्यों और लिखने-पढ़ने में प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं भाषाओं में हमारे लोकगीत और धार्मिक रीति-रिवाज की परंपराएँ जीवित बनी हुई हैं। यह भाषाएँ, बोलियाँ एवं साहित्यिक परंपराएँ हमारी संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

हजारों वर्षों की अधीनता के बावजूद हमारी भाषाएँ अक्षुण्ण रही, जिन विदेशी आक्रांताओं ने हम पर शासन किया उनकी भाषाएँ हमारी लोकभाषाओं के साथ रच-बस गईं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाएँ इन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आईं। अंग्रेजी को छोड़कर अन्य का प्रभाव सीमित रहा। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने हमारी चिंतन धारा को इस प्रकार प्रभावित किया कि हम हीन भावना के शिकार हो गए। हमें अपनी भाषा बोलने में लज्जा का भाव आ गया। अंग्रेजों की गुलामी करते-करते हम अंग्रेजियत के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा के भी गुलाम बन गए। स्वतंत्र भारत की सभी शिक्षा नीतियों में भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया। प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने, मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने जैसी अनुशंसाएँ भाषा के संबंध में की गई थी, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस संदर्भ में एक नवोन्मेष है। 29 जुलाई, 2020 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान की। हमारे देश में यह धारणा रही है कि अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है, इसीलिए अधिकांश अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्वयं को पब्लिक स्कूल से संबोधित करते रहे हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव श्री टीएसआर सुब्रमण्यम ने इन विद्यालयों से पब्लिक शब्द हटाने की सिफारिश की थी, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भारत के बहुसंख्यक भाषियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन्हीं टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 2014 में सरकार ने शिक्षा में बदलाव के लिए मंथन शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अस्तित्व में आई। यह शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मान्यताओं पर आधारित है, ऐसे में भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें सशक्त बनाना इस शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं में शामिल है।

विश्व के विकसित देशों की शिक्षा प्रणालियों पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि जो राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर खड़े हैं, उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखकर उसे ही शिक्षा का आधार बनाया है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रमुखतः 121 भाषाएँ और 19500 बोलियाँ हैं। 22 भाषाएँ संविधान में अनुसूचित हैं। ऐसे विविध भाषा-भाषी देश में हर भाषा को महत्व दिए बिना किसी सार्थक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 बहुभाषावाद को बढ़ावा देकर सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान देना चाहती है। इसमें कहा गया है कि भारतीय भाषाएँ विश्व की सबसे समृद्ध, वैज्ञानिक, मधुर, सरस, प्रांजल एवं अभिव्यंजन हैं। इसमें प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का विपुल भंडार है। भारतीय भाषाओं के साहित्य में वैज्ञानिकता, धार्मिकता, रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और सृजनात्मकता है, किन्तु शोध के अभाव में हम इससे अनभिज्ञ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को समय-सापेक्ष व आधुनिक बनाने के लिए इनके शब्दकोश निर्माण और इन पर कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम बनाने पर बल देती है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाषा संबंधी प्रावधानों का क्रियान्वयन हो जाए तो भारत में शिक्षा के स्तर और भारतीय भाषाओं की स्थिति दोनों में गुणात्मक परिवर्तन की आशा है।

यह तथ्य सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को यथावत, सशक्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी मातृभाषा में ही समझ, व्यक्त, पढ़ और लिख सकता है। शिक्षा केवल सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं है, इसमें विषय-वस्तु को समझना, बोध, चिंतन, मनन, तर्क, विश्लेषण, प्रश्न करना आदि योग्यताएँ धारित करना शामिल है। शिक्षा नीति में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली रटन्ट प्रणाली को समाप्त करने एवं बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करने की बात की गई है। बालकों का अधिकांश मानसिक विकास बाल्यावस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चों में रचनात्मकता का स्तर उच्च होता है। अतः बालकों

के प्रभावपूर्ण विकास के लिए उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना ही सबसे उपयुक्त माध्यम हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से उद्धृत है कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। यह नीति कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता पर और संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की पक्षधर है।

जैसा कि विदित है कि हमारा देश बहुभाषी है। यह कहावत बड़ी प्रसिद्ध है- कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी बानी। अर्थात् एक कोस की दूरी पर पानी में बदलाव आता है और चार कोस की दूरी पर लोगों के बोलने-चालने की भाषा में अंतर होना स्वाभाविक माना जाता है। हमारा देश एक विशाल देश है, इसलिए अनेक भाषाएं और बोलियां होना स्वाभाविक है। ऐसे बहुभाषी देश में केवल एक भाषा में बालकों को शिक्षा प्रदान करने की कल्पना न व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत। यह शिक्षा नीति भी पूर्व से प्रचलित त्रिभाषा-सूत्र की आवश्यकता को स्वीकार करती है। यह नीति बहुभाषिकता को स्वीकार करते हुए सभी भाषाओं के सम्मान को बनाए रखना चाहती है। विविधता में एकता के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए भी ऐसी दृष्टि आवश्यक है।

भारत की प्राचीन ज्ञान-परंपरा भारतीय भाषाओं में संवर्धित हुई है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारतीय जड़ों और गौरव से बंधकर हम भारत की समृद्ध, प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। आज भी प्राचीन साहित्य इन्हीं भाषाओं में संरक्षित है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगू आदि क्षेत्रीय भाषाएं भारतीय ज्ञान परंपराओं से विभूषित हैं। इनमें दर्शन, गणित, शिल्पकला, चिकित्सा, व्याकरण, खगोलशास्त्र, इतिहास, साहित्य जैसी प्रचुर सामग्रियां उपलब्ध हैं। इस समृद्ध साहित्य के अध्ययन के बिना हम भारतीय ज्ञान-परंपरा और विरासत को नहीं समझ पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस तथ्य को उद्घाटित किया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात एवं विकसित करने के लिए यहां पर प्रचलित भाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय भाषाओं को महत्व दिए बिना भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने की बात करना कोरी कल्पना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस तथ्य से भली-भांति परिचित है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्रियों की पर्याप्त कमी है। इन भाषाओं में न तो गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध हैं और न ही इनमें तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली की पर्याप्तता है। इसीलिए शिक्षा नीति ने यथाशीघ्र स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था की बात की है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत सी स्थानीय भाषाओं के शब्दकोषों की रचना अभी तक नहीं हो पाई है। जब तक इन भाषाओं के अपने शब्दकोश नहीं होंगे तब तक पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद करना दुष्कर होगा। इस दिशा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकेत दिया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दकोश का निर्माण यथासंभव शीघ्र किया जाए।

आज विश्व के अनेक विकसित देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं और अपनी भाषाओं के माध्यम से उन्होंने अपने देश को शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। भारतीय भाषाएं वैज्ञानिक, प्रांजल, समृद्ध, सरस एवं लोकप्रिय हैं। इन भाषाओं में गद्य और पद्य के विशाल भंडार हैं। केवल संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य का मुकाबला अनेक पश्चात्य भाषाएं मिलकर नहीं कर सकती। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, राजनीति, वास्तुकला, खगोलशास्त्र, विज्ञान, कविता, कहानी, नाटक, आदि से संबंधित विशाल रचनाएं उपलब्ध हैं। वैदिक काल से अद्यतन विभिन्न धर्मों एवं विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के रचनाकारों द्वारा यह साहित्य हजारों वर्षों में लिखा गया है। संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति की अनुभूति असंभव है। संस्कृत के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को मुख्य स्थान देने के विकल्प प्रस्तुत करती है। वर्तमान दौर में व्यक्ति को संवेदनशील, जिम्मेदार, व्यवहारिक एवं नैतिक गुणों से विभूषित बनाने के लिए जिस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है, पंचतंत्र जैसी पुस्तकें सर्वोत्तम विकल्प प्रस्तुत करती हैं। सनातन धर्म के अधिकांश कर्मकांड, संस्कार, पूजा पद्धति संस्कृत भाषा से अनुप्राणित हैं। अतीत से वर्तमान को जोड़ने वाली इस समृद्ध संस्कृत भाषा का महत्व स्वतः सिद्ध है। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत शिक्षा नीति संस्कृत विश्वविद्यालय (संस्थानों) को आधुनिक वैज्ञानिक विषयों के समन्वय से बहु-विषयक संस्थान के रूप में परिवर्तित करने की मंशा प्रस्तुत करती है।

भारत की लोक परंपराएं, कला एवं संस्कृति स्थानीय भाषाओं में विकसित हुई है। हमारा देश त्योहारों का देश है। सभी त्योहारों, धार्मिक आयोजनों एवं पारिवारिक समारोहों में लोकगीतों का विशेष महत्व है। हमारे अधिकतर रीति-रिवाज, त्योहार और सामान्य जीवन-चर्या स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होती हैं। हमें जिस भारतीय संस्कृति पर गर्व है उस संस्कृति का अधिकांश साहित्य/दर्शन स्थानीय/ क्षेत्रीय/ शास्त्रीय भाषाओं से आच्छादित है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की विरासत से जुड़ने के लिए इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं परिमार्जन को प्राथमिकता देती है। शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु वेब आधारित प्लेटफॉर्म/ पोर्टल/ विकिपीडिया आदि का प्रयोग करने की वकालत करती है, जिससे भविष्य के दृष्टिगत इनका अभिलेखीकरण किया जा सके। दृश्य-श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए लोक गायन, नृत्य, संवाद, कहानी, कविता, नाटक आदि की रिकॉर्डिंग वास्तविक परिवेश में की जाएगी। विभिन्न संचार साधनों जैसे दूरदर्शन, रेडियो आदि के माध्यम से इनका क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर प्रसारण भाषाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

उत्कृष्ट, निष्ठावान, विज्ञ शिक्षकों के बिना शिक्षा व्यवस्था के सफल होने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे देश में पेशेवर शिक्षकों का अभाव रहा है, इसलिए शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं के जानकार व्यक्तियों को शिक्षकों के रूप में चयन करने को प्राथमिकता देती है। यद्यपि इससे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर लाभ मिलने की संभावना है किंतु प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में जहां पर बच्चे अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करते और समझते हैं, वहां पर इसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त होना निश्चित है। यदि प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा-भाषी शिक्षक उपलब्ध होगा तो वह छात्रों से भली-भांति अंतर्क्रिया कर पाएगा, जिससे सार्वभौमिक नामांकन में सहयोग और अवरोधन की समस्या समाप्त करने में सहयोग मिलेगा। शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में छात्राध्यापकों को उनकी मातृभाषा में या जहां पर उनकी नियुक्ति होनी है उसी भाषा-भाषी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। 4 वर्षीय बीएड प्रशिक्षण के माध्यम से भाषा शिक्षकों का एक बड़ा कैडर तैयार करने की योजना है। विज्ञान और गणित के शिक्षकों में भाषागत समस्या और भी गंभीर है क्योंकि इन विषयों के पाठ्यक्रम अधिकांशतः अंग्रेजी या कुछ मुख्य भाषाओं में उपलब्ध हैं। अतः गणित और विज्ञान के शिक्षक प्रशिक्षण में इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

दुनिया को भारत की समृद्ध भाषाई विरासत से परिचित कराने के लिए अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे सर्वसाधारण लोगों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री लिखित एवं मौखिक उपलब्ध हो सके। इस कार्य को करने के लिए शिक्षा नीति एक इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना करने की बात करती है। यह संस्थान बड़े पैमाने पर भारतीय भाषाओं में अनुवादित सामग्री तैयार करेंगे जिसके लिए विषय विशेषज्ञों एवं अनुवाद विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इससे रोजगार सृजन के नए अवसर बनेंगे। आईआईटीआई के कार्यक्षेत्र में क्रमशः विस्तार किया जाएगा और भविष्य में उच्चतर शिक्षा संस्थानों सहित देश के विभिन्न भागों में इनका सेवा विस्तार होगा।

औपनिवेशिक काल से अद्यतन उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही रही है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं सामान्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित हैं। इन्हीं तथ्यों के दृष्टिगत NEP 2020 भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की सन्दर्भ पुस्तकें उपलब्ध कराने की अनुशंसा करती है। अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम मातृभाषा/स्थानीय भाषा या द्विभाषी माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें माध्यम चयन का अधिकार विद्यार्थियों के पास होगा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारतीय भाषाओं का सशक्तीकरण अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य के लिए अंग्रेजी में उपलब्ध तकनीकी/ मेडिकल/ प्रबंधन/ कानून/ कम्प्यूटर आदि की संदर्भ पुस्तकों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करवाने के लिए पैनल गठन किया जाएगा। इन भाषाओं में प्रिंटेड एवं डिजिटल सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था शिक्षा नीति में की गई है। जिन स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शब्दकोश का अभाव है उनमें नए शब्दों का निर्माण एवं शब्दकोश की पुनर्रचना किया जाना भी इस प्रक्रिया का अंग होगा। यदि उच्च शिक्षा की

पुस्तकें, शोध सामग्री, ई-कंटेंट की पर्याप्त उपलब्धता स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, तो ग्रामीण और कस्बाई विद्यार्थियों की पहुंच उच्च शिक्षा तक आसान हो जाएगी। भाषा के अवरोध से बहुत से प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

भारत की विविधता उसका सौंदर्य है। यह विविधता भाषा, धर्म, क्षेत्र, रंग, रूप आदि विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। भाषाई विविधता देश का महत्वपूर्ण घटक है। जिन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या अधिक है, वह किसी प्रकार अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं किंतु शास्त्रीय, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों की लुप्तप्राय भाषाओं के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा है। यूनेस्को ने 197 में भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। भाषाओं के संरक्षण का किसी भी प्रकार व्यवस्थित संस्थागत प्रयास अब तक नहीं किया गया है। यह नीति इन भाषाओं को नए उत्साह के साथ संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं जन-भागीदारी की भूमिका को रेखांकित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं को लागू हुए 6 वर्ष से अधिक हो गया है। यदि हम भाषा संबंधी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि अभी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। जहां तक कक्षा 5 तक और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात थी तो इसमें किसी प्रकार स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। कुछ पीएम श्री विद्यालयों में इस संबंध में थोड़ा प्रयास अवश्य दिखता है। भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के संबंध में एनसीईआरटी और अन्य संस्थाओं द्वारा पाठ्य सामग्री अनुवाद का कार्य चल रहा है किंतु अब तक भारतीय संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में ही कुछ पुस्तकों का अनुवाद डिजिटल रूप में उपलब्ध हो पाया है। अन्य स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों के निर्माण की प्रगति लगभग शून्य है। त्रिभाषा सूत्र को लागू करने संबंधी प्रावधानों के संबंध में लचीलापन रखा गया है। किसी भी राज्य पर भाषा को थोपा नहीं गया है जिससे इसके क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। केवल कुछ केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए यूजीसी ने 2023 में “गाइडलाइंस फॉर ट्रांसलेशन आफ बुक्स इनटू इंडियन लैंग्वेजज” जारी की है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून आदि की पुस्तकों को भारतीय भाषा में अनुवादित करने के लिए एआईसीटीई ने ‘अनुवादिनी’ नामक एआई आधारित व्यवस्था विकसित किया है। ई-कुंभ के माध्यम से छात्रों के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अभियांत्रिकी की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने के लिए 2023 में एआईसीटीई ने 12 राज्यों में सात क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा 49 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लाख से अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों का संकलन 22 भारतीय भाषाओं में किया गया है, इनमें से लगभग 16 लाख शब्द डिजिटाइज्ड किये जा चुके हैं। SWAYAM पोर्टल पर बहुभाषी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं, जिससे छात्र सीधे ऑनलाइन माध्यम से अधिगम सामग्री तक पहुंच बना सकें। ASMITA पहल के अंतर्गत विद्यार्थियों को अनुवादित एवं मौलिक पुस्तकों को उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया गया है, इसमें 5 वर्ष समयान्तर्गत 22 भारतीय भाषाओं में 22000 पुस्तकें तैयार करने का उद्देश्य है। DIKSHA (दीक्षा) जैसे डिजिटल मंचों पर ई-कंटेंट उपलब्ध कराये गए हैं। 2024 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 366370 कंटेंट विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध थे।

हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भाषा संबंधी अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, किंतु इसमें चुनौतियां कम नहीं हैं। कई स्थानीय भाषाओं को लिपिबद्ध करने में आने वाली कठिनाइयां, मातृभाषा में शिक्षा देने वाले शिक्षकों का अभाव, गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-पुस्तकों की अनुपलब्धता, अंग्रेजी के प्रति सामाजिक आकर्षण, उच्च शिक्षा में भाषा का संक्रमण, त्रिभाषा सूत्र लागू करने में अनेक राज्य सरकारों का विरोध, सीमित समूह या अनुसूचित जनजाति की स्थानीय भाषाओं का संरक्षण, स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली के विकास में आने वाली कठिनाइयां, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुभाषिकता का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, डिजिटल भाषायी संसाधनों में असमानता आदि व्यावहारिक समस्याएं हमारे समक्ष

अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं के संबंध में दर्शायी गयी संवेदनशीलता भारतीय भाषाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में एक अच्छी शुरुआत है, किंतु इस संबंध में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

संदर्भ सूची –

- मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार (जुलाई 29, 2020)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन (विशेषांक), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
- सिंह, अविनाश कुमार (2022), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (आलेख), योजना, वर्ष 66, अंक-2, फरवरी, पृष्ठ (7-10)
- <https://www.drshitiias.com>, नई शिक्षा नीति 2020
- कोठारी, अतुल (2021): राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020_ भारतीयता का पुनरुत्थान, प्रभात प्रकाशन
- NCERT. (2006). Teaching of Indian Languages. National Council of Educational Research and Training.
- Singh, A. K. (2025). “From Policy to Practice: Challenges and Pathway for Advancing Multilingual Education through India’s National Education Policy 2020.” Policy Futures in Education 23(4), 746–765.
<https://doi.org/10.1177/14782103251320532>

Disclaimer/Publisher’s Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.